फैक्स / स्पीड पोस्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं. केबीबी/1/2013/एसटीजीआरजे/डीईएलएएल/आर.यू-I

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 06-06-2014

सेवा में, श्री आशुतोष एटी पेढ़नेकर,
जिला कलेक्टर,
उदयपुर,
राजस्थान

विषय: **अनुसूचित जनजाति परिवार की अवैध रूप से हड़पी गयी पुस्तैनी कृषि भूमि को वापस दिलाने के संबंध में श्रीमती किशोरी बाई बेवा मांगीया गमेती निवासी चिकलवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राजस्थान) का परिवाद।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.01.2014 एवं अनुस्मरण पत्र दिनांक 07.01.2014 के संदर्भ में कथन है कि मामले में आपके यहां से अभी तक वांछित कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

चूंकि मामला गंभीर है आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उरांव ने प्रकरण पर चर्चा एवं सुनवाई हेतु दिनांक 24.06.2014 को अपराह्न 01:00 बजे आपके साथ बैठक निश्चित की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों सहित उक्त अनुसूचित तिथि को उपरोक्त पते पर आयोग के समक्ष वैयक्तिक रूप में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

के० डी० बन्सौर 9/6/14

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रतिलिपिः

1. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राजस्थान) को उनके पत्र संख्या एफ-9(306)भू.रू./यूआईटी/2014/222 दिनांक 31.01.2014 के संदर्भ में अनुरोध है कि **उपरोक्त तिथि** को आप भी आयोग में वैयक्तिक तौर पर उपस्थित होवें।
2. श्रीमती किशोरी बाई बेवा मांगीया गमेती निवासी चिकलवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राजस्थान) को सूचनार्थ।
3. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव।
4. एसएसए, एनआईसी,

के० डी० बन्सौर

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक